

प्रेषक

संवृद्धि शिक्षा निदेशक

झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में

मन्त्रिमण्डप

भारत सरकार के अधिकारी विभागों के लिए वित्तीय संचय के लिए विभाग

मन्त्रीमण्डप विभाग

पत्रांक / एन0ओ0सी0 / 1614-21 / 2012-13 दिनांक - 29.6.2012
 विषय - आर0एन0एस0वल्ड स्कूल पॉली पहाड़ी शिक्षपुरी रोड, झाँसी को सी0बी0एस0इंडोर, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनुमति ग्रमाण्यपत्र के सम्बन्ध में।
 महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आग्रह ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्च है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक - 14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0इंडोर तथा आई0सी0एस0इंडोर बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व सरकारी को अनापत्ति ग्रमाण्य पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उसके अनुचालन में जनपद, झाँसी में स्थित संस्था आर0एन0एस0 वल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिक्षपुरी रोड, झाँसी के आवेदन पत्र पर मण्डल सत्र पर गठित समिति द्वारा विचार विश्या गया। समिति द्वारा जॉघोपरान्त आर0एन0एस0 वल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिक्षपुरी रोड, झाँसी को सी0बी0एस0इंडोर नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन अनुमति ग्रमाण्य पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः आर0एन0एस0 वल्ड स्कूल, पॉली पहाड़ी, शिक्षपुरी रोड, झाँसी को निम्नलिखित प्रतिवर्णों के अधीन अनुमति ग्रमाण्य पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत लोकायटी का समय-समय पर नक्षीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमें 100% माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्ड, शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. सत्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा नामित अनुदान की नाग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सटीफिकेट एकामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. सत्था को शैक्षिक एवं शिक्षणीलकर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमानों तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ती बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासवीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाने उपलब्ध कराये जायेंगे।

(02)

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड, लिक्विडेशन प्रापत्र/पंजिकाओं ने रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णनुसोदन के दिन कोई परिवर्तन/संशोधन/लिमिटेशन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवर्त्यों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रचारण पत्र बापत्त ले लिया जायेगा।

महाराजा

(सर्वजनिक उद्योग)

आयुक्त

झौसी मण्डल झौसी

लद्दिनोक-

पृष्ठकन स०/एन०ओ०सी०/ १६१५-२ / २०१२-१३

1. सचिव, भार्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, राज्यन, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, झौसी, झौसी मण्डल झौसी।
3. जिलाधिकारी, झौसी।
4. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, झौसी।
6. निरीक्षक, आ०ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रारम्भिक उ०प्र० एन०ओ०सी० अर्डर स्कूल, पीलीभाड़ी, शिथिल, लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झौसी मण्डल झौसी

R. SAXENA
DR. R. SAXENA
Principal
RNS WORLD SCHOOL
 Pali Pahadi Shivpuri Road, Jhansi-284003



Alka